गृह मंत्रालय

मांग संख्या 54

दिल्ली को अंतरण

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	454.88	...	454.88	758.00	...	758.00	818.00	...	818.00	758.00	...	758.00
वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**454.88**	**...**	**454.88**	**758.00**	**...**	**758.00**	**818.00**	**...**	**818.00**	**758.00**	**...**	**758.00**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है												
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
1. 1984 के दंगा पीडितों को संवर्द्धित क्षतिपूर्ति	10.00	...	10.00	15.00	...	15.00	75.00	...	75.00	15.00	...	15.00
2. केंद्रीय करों और शुल्कों में शेयर के बदले अनुदान	...	...	...	325.00	...	325.00	325.00	...	325.00	325.00	...	325.00
3. संघ राज्य क्षेत्र आपदा प्रतिक्रिया निधि में अंशदान हेतु अनुदान	...	...	...	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
4. संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता	444.88	...	444.88	412.99	...	412.99	412.99	...	412.99	412.99	...	412.99
5. बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (चंद्रावल जल उपचार संयंत्र)	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण	**454.88**	**...**	**454.88**	**758.00**	**...**	**758.00**	**818.00**	**...**	**818.00**	**758.00**	**...**	**758.00**
कुल जोड़	***454.88***	***...***	***454.88***	***758.00***	***...***	***758.00***	***818.00***	***...***	***818.00***	***758.00***	***...***	***758.00***
ख. विकास शीर्ष												
अन्य												
1. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	454.88	...	454.88	758.00	...	758.00	818.00	...	818.00	758.00	...	758.00
जोड़-अन्य	**454.88**	**...**	**454.88**	**758.00**	**...**	**758.00**	**818.00**	**...**	**818.00**	**758.00**	**...**	**758.00**
कुल जोड़	**454.88**	**...**	**454.88**	**758.00**	**...**	**758.00**	**818.00**	**...**	**818.00**	**758.00**	**...**	**758.00**

1, 2 और 3. ये प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के संसाधनों में अंतर को पाटने के लिए अनुदानों के लिए हैं, जिनमें 1984 के दंगों में मृत्यु, चोट, आवासीय संपत्ति को नुकसान के लिए वर्धित प्रतिपूर्ति का संदाय और संघ राज्य क्षेत्र आपदा प्रतिक्रिया निधि में अंशदान के लिए अनुदान शामिल हैं। यह प्रावधान मांग संख्या 32 – राज्यों को अंतरण में किए गए वास्तविक 2015-16 के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के केंद्रीय करों और शुल्कों में हिस्से के बदले अनुदानों से संबंधित है।

4. यह प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की स्कीमों के वित्तपोषण के लिए है।